कार्यालय– निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक–शिविरा / माध्य / मोनटरिंग / बोर्ड निर्देश / 2017 दिनांक– 01.10.18

समस्त जिला शिक्षा अधिकारी
(माध्यमिक)

विषय– कृषि विज्ञान विषय के साथ अन्य विषयों के संचालन के संबंध में
संदर्भ– शासन का पत्रांक प. 4 (3)शिक्षा–1 / 2015 पार्ट दिनांक 07.08.18

उपर्युक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र द्वारा विज्ञान वर्ग को दो वर्गों वर्ग ''अ'' एवं वर्ग ''ब'' में विभाजित किया जाकर विज्ञान वर्ग में कृषि विज्ञान, कृषि रसायन एवं कृषि जीव विज्ञान विषय एवं उनके साथ लिये जाने वाले अन्य विकल्पों के प्रावधान को स्पष्ट किया गया था, इस क्रम में इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 21.08.18 द्वारा समस्त अधीनस्थ कार्यालयों को निर्देशित कर दिया गया था।

राज्य में उक्त प्रावधान से कृषि विषय निम्नानुसार संचालित था। प्रथम 2017 से पूर्व के वे विद्यालय जिनमें कृषि विषय के साथ जीव विज्ञान एवं रसायन विज्ञान संचालित था तथा दूसरे वे विद्यालय जिनमें 2017 में माननीय मुख्यमंत्री महोदया की बजट घोषणा की घोषणा संख्या 197 के तहत पंचायत समिति मुख्यालय के किसी एक विज्ञान संकाय के विद्यालय में विज्ञान के पांचो विषय जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, गणित एवं कृषि को पूरा करने के लिये अतिरिक्त विषय खोले गये और इसके तहत राज्य में विज्ञान संकाय के 190 विद्यालयों में कृषि अतिरिक्त विषय खोला गया।

यह ध्यान में आया है कि कई विद्यालयों द्वारा बिना सक्षम स्वीकृति के बोर्ड को लिखे उक्त पत्र के आधार पर कृषि विज्ञान के साथ कृषि रसायन एवं कृषि जीव विज्ञान विषय का संचालन प्रारंभ कर दिया तथा इस वर्ष 2018 में कक्षा 12 के बोर्ड आवेदन भी इसी अनुसार भर दिये हैं। शासन द्वारा प्रासंगिक पत्र के साथ सलंग्न बैठक कार्यवाही विवरण दि. 16.07.18 में यह स्पष्ट किया गया है कि कृषि जीव विज्ञान एवं कृषि रसायन विज्ञान को क्रमशः जीव विज्ञान एवं रसायन विज्ञान के प्राध्यापकों के द्वारा ही अध्यापन कराया जाएगा। इस हेतु पृथक के कोई पद स्वीकृत नहीं किये जाएगे। अतः जिन विद्यालयों द्वारा गत वर्ष अनभिज्ञता से कृषि विज्ञान के साथ कृषि रसायन विज्ञान तथा कृषि जीव विज्ञान संचालित कर लिया है एवं बोर्ड के आवेदन पत्र भी भरवा लिये है उनका कार्योतर अनुमोदन निदेशालय स्तर पर किया जाने हेतु समेकित प्रस्ताव मय संबंधित प्रधानाचार्य के स्पष्टीकरण भिजवाएं, जिससे की इस वर्ष 2018 हेतु कक्षा–12 हेतु उक्त संचालन का कार्योत्तर अनुमोदन किया जा सके। साथ ही यह भी निर्देशित किया जाता है कि **कक्षा –11 में पूर्व में आवंटित / सचांलित विषय (कृषि विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीवविज्ञान) ही संचालित रहेंगे।** यदि किसी संस्था प्रधान द्वारा बिना सक्षम स्वीकृति के अपने स्तर पर विषय / संकाय में परिवर्तन कर लिया जाता है तो वह मान्य नहीं होगा एवं संस्था प्रधान के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

(नथमल डिडेल)
IAS
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः

1. उप शासन सचिव शिक्षा–प्रथम् , शासन सचिवालय, जयपुर
2. समस्त उप निदेशक (माध्यमिक)
3. समस्त संस्था प्रधान

निदेशक
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर

Scanned by CamScanner